National Research Journal of Human Resource Management
Volume No: 11, Issue No: 1, Year: 2024 (January-June)
PP: 44-48
ISSN No: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website www.nrjhrm.in

बिहार में दलित अस्मिता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व: एक समालोचनात्मक अध्ययन

सरोज कुमार यादव

विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सार

बिहार में दलित अस्मिता का प्रश्न केवल जातिगत पहचान या सांस्कृतिक स्वाभिमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षा, भूमि-संबंध, स्थानीय सत्ता-संरचना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक न्याय आंदोलन, पंचायत लोकतंत्र और चुनावी राजनीति ने बिहार के दलित समुदायों को सार्वजनिक जीवन में अधिक दृश्यता प्रदान की। इसके बावजूद दलित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अब भी गंभीर असमानताएँ विद्यमान हैं। बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण 2023 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 19.65% दर्ज की गई, जबकि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 38 हैं, जो कुल 243 सीटों का 15.64% है। इससे जनसंख्या और विधानसभाई प्रतिनिधित्व के बीच अंतर स्पष्ट होता है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर बिहार में दलित अस्मिता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अंतर्संबंध का समालोचनात्मक विश्लेषण करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि बिहार में दलित राजनीति ने सामाजिक दृश्यता और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाया है, किंतु वास्तविक सामाजिक न्याय के लिए प्रतिनिधित्व को शिक्षा, रोजगार, भूमि-अधिकार, प्रशासनिक पहुँच और दलित महिलाओं की प्रभावी भागीदारी से जोड़ना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: दलित अस्मिता, सामाजिक न्याय, बिहार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, लोकतंत्र, दलित चेतना।

1. प्रस्तावना

बिहार का सामाजिक ढाँचा ऐतिहासिक रूप से जाति, भूमि और श्रम-संबंधों से निर्मित रहा है। इस ढाँचे में दलित समुदायों की स्थिति लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक परिधीयता से चिह्नित रही। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने अस्पृश्यता-उन्मूलन, समान नागरिकता, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से दलित समुदायों को अधिकारों का औपचारिक आधार दिया [1]। किंतु सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ केवल संवैधानिक प्रावधानों से पूरा नहीं होता; वह तब पूर्ण होता है जब वंचित समुदाय सामाजिक सम्मान, आर्थिक संसाधन और निर्णय-निर्माण में प्रभावी भागीदारी प्राप्त करें।

बिहार में दलित अस्मिता का विकास सामाजिक अपमान के प्रतिरोध, जातिगत पहचान की पुनर्परिभाषा, शिक्षा, आंदोलन, चुनावी लामबंदी और नेतृत्व-निर्माण से जुड़ा है। हितेंद्र के. पटेल ने बिहार में 1913 से 1952 के बीच दलित लामबंदी को जातीय संगठनों, सामाजिक सुधार और प्रतिनिधित्व की आकांक्षा से जोड़ा है [2]। स्वतंत्रता के बाद यह चेतना संवैधानिक राजनीति, कांग्रेस व्यवस्था, समाजवादी आंदोलन, वामपंथी किसान-मजदूर संघर्ष, मंडल राजनीति और समकालीन गठबंधन राजनीति के माध्यम से विस्तृत हुई [3]।

ISSN No: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website www.nrjhrm.in

2. अध्ययन के उद्देश्य और कार्यप्रणाली

इस शोध-पत्र के उद्देश्य हैं—बिहार में दलित अस्मिता की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना; सामाजिक न्याय आंदोलन और दलित प्रतिनिधित्व के संबंध का विश्लेषण करना; जनसंख्या, आरक्षण और चुनावी प्रतिनिधित्व के बीच अंतर को सांख्यिकीय रूप से देखना; तथा दलित राजनीति की उपलब्धियों और सीमाओं का समालोचनात्मक अध्ययन करना।

यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें जनगणना 2011, बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण 2023, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आदेश, बिहार पंचायती राज अधिनियम और दलित राजनीति पर उपलब्ध विद्वत् साहित्य का उपयोग किया गया है। विश्लेषण में प्रतिशत, प्रतिनिधित्व-अंतर, प्रतिनिधित्व-सूचकांक और तुलनात्मक व्याख्या का प्रयोग किया गया है।

3. दलित अस्मिता की अवधारणा और बिहार का संदर्भ

दलित अस्मिता का अर्थ केवल "दलित" नाम से पहचान ग्रहण करना नहीं है। यह सामाजिक अपमान के विरुद्ध स्वाभिमान, अधिकार और नागरिकता की चेतना है। आंबेडकर ने जाति-व्यवस्था को सामाजिक लोकतंत्र के लिए गंभीर बाधा माना था और बराबरी, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व को लोकतांत्रिक समाज का आधार बताया था [4]। बिहार में यह विचार ग्रामीण समाज की कठोर जाति-संरचना से टकराता है, जहाँ जाति केवल पहचान नहीं, बल्कि श्रम, निवास, भूमि, विवाह, राजनीतिक निष्ठा और सामाजिक संपर्क का नियामक रही है।

बिहार की दलित अस्मिता तीन स्तरों पर विकसित हुई। पहला, सामाजिक स्तर, जहाँ सम्मान, मंदिर-प्रवेश, सार्वजनिक संसाधनों और जातिगत अपमान से मुक्ति की माँग थी। दूसरा, राजनीतिक स्तर, जहाँ आरक्षित सीटों, दलित नेतृत्व और चुनावी भागीदारी ने प्रतिनिधित्व का मार्ग खोला। तीसरा, आर्थिक स्तर, जहाँ भूमि, मजदूरी, शिक्षा, सरकारी नौकरी और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच केंद्रीय प्रश्न बने। इसीलिए बिहार में दलित अस्मिता को सामाजिक न्याय और आर्थिक पुनर्वितरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता।

4. सामाजिक न्याय आंदोलन और दलित राजनीति

बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति ने 1990 के बाद सत्ता-संरचना को गहराई से बदला। मंडल आयोग की पृष्ठभूमि में पिछड़े वर्गों, अति-पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक लामबंदी ने ऊँची जातियों के लंबे प्रभुत्व को चुनौती दी। जेफ्रेलो ने उत्तर भारत में निम्न जातियों के राजनीतिक उभार को लोकतांत्रिक राजनीति की "मौन क्रांति" कहा है [5]। बिहार में यह परिवर्तन महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे सत्ता की भाषा में जाति-आधारित वंचना और प्रतिनिधित्व का प्रश्न केंद्रीय बना।

फिर भी सामाजिक न्याय आंदोलन में दलितों की स्थिति जटिल रही। पिछड़ा वर्ग नेतृत्व ने सत्ता-संरचना में निर्णायक स्थान प्राप्त किया, परंतु दलित समुदायों की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति उतनी सुदृढ़ नहीं बन सकी। रामविलास पासवान ने दलित राजनीति को राष्ट्रीय गठबंधन राजनीति से जोड़ा, जबकि जीतन राम मांझी ने महादलित समुदायों की राजनीतिक दृश्यता बढ़ाई। इन दोनों धाराओं ने यह स्पष्ट किया कि बिहार में दलित राजनीति एकसमान नहीं है; यह पासवान/दुसाध, रविदास/चमार, मुसहर, पासी और अन्य दलित उपजातियों की भिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होती है [6]।

5. जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का सांख्यिकीय विश्लेषण

2011 की जनगणना में बिहार की अनुसूचित जाति जनसंख्या 16,567,325 थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 15.91% थी। 2023 के बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 19.65% बताई गई। इस प्रकार 2011 और 2023 के बीच अनुसूचित जाति हिस्सेदारी में

ISSN No: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website www.nrjhrm.in

3.74 प्रतिशतांक का अंतर दिखाई देता है। जाति-आधारित सर्वेक्षण में बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 13.07 करोड़ और अनुसूचित जाति हिस्सेदारी 19.65% दर्ज की गई।

तालिका 1: बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या का तुलनात्मक स्वरूप

स्रोत	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति प्रतिशत
जनगणना 2011	104,099,452	16,567,325	15.91%
जाति-आधारित सर्वेक्षण 2023	130,725,310	25,689,820	19.65%
अंतर	+26,625,858	+9,122,495	+3.74 प्रतिशतांक

बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार इनमें 38 सीटें अनुसूचित जातियों और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इस आधार पर अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों का प्रतिशत 15.64% है।

तालिका 2: बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व-सूचकांक

सूचक	आँकड़ा
कुल विधानसभा सीटें	243
अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें	38
आरक्षित सीटों का प्रतिशत	15.64%
अनुसूचित जाति जनसंख्या, 2023	19.65%
प्रतिनिधित्व-अंतर	-4.01 प्रतिशतांक
प्रतिनिधित्व-सूचकांक	0.80

प्रतिनिधित्व-सूचकांक = आरक्षित सीटों का प्रतिशत ÷ जनसंख्या प्रतिशत = 15.64 ÷ 19.65 = 0.80। इसका अर्थ है कि वर्तमान जनसंख्या हिस्सेदारी की तुलना में विधायी आरक्षण का अनुपात कम दिखाई देता है। यह अंतर भविष्य में परिसीमन, आरक्षण-नीति और प्रतिनिधित्व की बहस को प्रभावित कर सकता है।

6. सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थिति

दलित अस्मिता की राजनीतिक अभिव्यक्ति तभी सार्थक होती है जब वह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से जुड़ती है। बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण से संबंधित उपलब्ध विवरणों के अनुसार अनुसूचित जाति परिवारों में गरीबी का अनुपात राज्य औसत से अधिक है। प्रकाशित विवरणों में राज्य-स्तरीय गरीबी 34.13% और अनुसूचित जाति परिवारों में गरीबी 42.93% बताई गई है [7]। इसका अर्थ है कि अनुसूचित जातियों में गरीबी राज्य औसत से 8.80 प्रतिशतांक अधिक है।

ISSN No: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website www.nrjhrm.in

तालिका 3: सामाजिक-आर्थिक असमानता का संकेतक विश्लेषण

सूचक	राज्य औसत	अनुसूचित जाति	अंतर	अनुपात
गरीब परिवार	34.13%	42.93%	+8.80	1.26
स्नातक शिक्षा	6.47%	3.12%	-3.35	0.48
सरकारी नौकरी	1.57%	1.13%	-0.44	0.72

यह तालिका बताती है कि सामाजिक न्याय की राजनीति ने दलितों को प्रतीकात्मक और चुनावी स्थान तो दिया है, परंतु शिक्षा, रोजगार और आय में समानता अभी अधूरी है। स्नातक शिक्षा में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य औसत का लगभग आधा है। सरकारी नौकरी में भी उनकी उपस्थिति राज्य औसत से कम है। इसलिए बिहार में दलित अस्मिता का प्रश्न आर्थिक न्याय से अलग नहीं किया जा सकता।

7. पंचायत राजनीति और स्थानीय प्रतिनिधित्व

बिहार में स्थानीय लोकतंत्र ने दलित प्रतिनिधित्व को ग्राम-स्तर पर नई दिशा दी। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 ने पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए लगभग 50% आरक्षण का प्रावधान स्थानीय सत्ता में लैंगिक प्रतिनिधित्व को भी मजबूत करता है।

पंचायत राजनीति ने दलित समुदायों को वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसे पदों तक पहुँचाया। इससे दलित अस्मिता को स्थानीय प्रशासनिक पहचान मिली। फिर भी वास्तविक प्रतिनिधित्व कई बार सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, प्रशासनिक जानकारी की कमी और स्थानीय प्रभुत्वशाली समूहों के हस्तक्षेप से सीमित हो जाता है। दलित महिलाओं के मामले में यह समस्या और अधिक जटिल है, क्योंकि उन्हें जाति और लिंग दोनों स्तरों पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

8. राजनीतिक प्रतिनिधित्व की उपलब्धियाँ और सीमाएँ

बिहार में दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रमुख उपलब्धि यह है कि दलित समुदाय अब चुनावी राजनीति में अदृश्य नहीं हैं। राजनीतिक दल टिकट-वितरण, गठबंधन-रणनीति, कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी घोषणाओं में दलित तथा महादलित समुदायों को ध्यान में रखते हैं। दलित मतदाता केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अनेक सामान्य सीटों पर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

इसके बावजूद तीन मुख्य सीमाएँ दिखाई देती हैं। पहली, दलित प्रतिनिधित्व कई बार पार्टी-रेखा में सीमित होकर स्वतंत्र दलित एजेंडा विकसित नहीं कर पाता। दूसरी, उपजातीय विभाजन दलित राजनीति की व्यापक एकता को कमजोर करता है। तीसरी, दलित नेतृत्व के प्रतीकात्मक विस्तार के बावजूद दलित समुदायों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ। इसी कारण दलित अस्मिता और सामाजिक न्याय के बीच अभी भी एक स्पष्ट अंतर बना हुआ है।

9. समालोचनात्मक निष्कर्ष

बिहार में दलित अस्मिता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संबंध गहरा, परंतु अपूर्ण है। दलित अस्मिता ने सामाजिक अपमान के विरुद्ध स्वाभिमान और अधिकार की चेतना पैदा की। सामाजिक न्याय आंदोलन ने इस चेतना को राजनीतिक भाषा दी। आरक्षण और चुनावी प्रतिनिधित्व ने

ISSN No: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website www.nrjhrm.in

दलित समुदायों को संस्थागत प्रवेश दिया। फिर भी जनसंख्या, प्रतिनिधित्व और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बीच असंतुलन स्पष्ट है।

2023 के जाति-आधारित सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 19.65% है, जबकि विधानसभा में आरक्षित सीटों का अनुपात 15.64% है। गरीबी, उच्च शिक्षा और सरकारी रोजगार में भी दलित समुदाय राज्य औसत से पीछे हैं। इसलिए बिहार में दलित राजनीति का अगला चरण केवल पहचान और प्रतिनिधित्व पर नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्वितरण, शिक्षा, भूमि-अधिकार, स्थानीय शासन, महिला नेतृत्व और प्रशासनिक पहुँच पर केंद्रित होना चाहिए।

समालोचनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिहार में दलित अस्मिता ने लोकतंत्र को सामाजिक गहराई दी है, परंतु सामाजिक न्याय को वास्तविक रूप देने के लिए प्रतिनिधित्व को परिणामकारी बनाना आवश्यक है। जब दलित प्रतिनिधित्व नीति, बजट, भूमि, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय प्रशासन में प्रभावी परिवर्तन उत्पन्न करेगा, तभी दलित अस्मिता सामाजिक न्याय की पूर्ण प्रक्रिया में परिवर्तित होगी।

संदर्भ

1. भारत सरकार, भारत का संविधान. नई दिल्ली: विधि और न्याय मंत्रालय, अद्यतन संस्करण।
2. एच. के. पटेल, "एस्पेक्ट्स ऑफ मोबिलाइजेशन्स ऑफ दलित्स इन बिहार, 1913–1952," कंटेम्पररी वॉइस ऑफ दलित, खंड 9, अंक 1, पृ. 63–72, 2017।
3. आर. कोठारी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन, 1970।
4. बी. आर. आंबेडकर, जाति का विनाश. नई दिल्ली: नवयान, पुनर्मुद्रित संस्करण, 2014।
5. सी. जेफ्रेलो, इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशन: द राइज ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया. न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003।
6. एस. पाई, दलित असर्शन एंड द अनफिनिश्ड डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स, 2002।
7. बिहार सरकार, बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण, 2023: जनसंख्या एवं सामाजिक-आर्थिक निष्कर्ष. पटना: सामान्य प्रशासन विभाग, 2023।
8. भारत सरकार, जनगणना 2011: अनुसूचित जाति जनसंख्या, बिहार. नई दिल्ली: जनगणना आयुक्त कार्यालय, 2011।
9. भारत निर्वाचन आयोग, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंटरी एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर, 2008. नई दिल्ली, 2008।
10. भारत निर्वाचन आयोग, बिहार विधानसभा निर्वाचन सांख्यिकीय प्रतिवेदन. नई दिल्ली, विभिन्न वर्ष।
11. बिहार सरकार, बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006. पटना: पंचायती राज विभाग, 2006।
12. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और आरक्षण व्यवस्था. पटना, 2024।